तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.04.2023	पत्रावली पेश हुई वादीगण वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील वादीगण की बहस है कि वादीगण की खातेदारी भूमि 17.00 बीघा ग्राम धारणा तहसील सिवाना में अवस्थित है। उक्त खेत के मध्य से धारणा–मिठोड़ा सड़क निकलने से 3.00 बीघा भूमि सड़क के उत्तर में तथा 14.00 बीघा भूमि, जिसका ख.सं. 84/566 कायम हुआ, सड़क के दक्षिण में रही। उक्त सड़क के कारण वादग्रस्त भूमि दो खसरों के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए थी, किंतु राजस्व कर्मियों ने वादी की भूमि के उत्तरी सिरे पर सड़क की तरमीम करते हुए कुल 17.00 बीघा भूमि एक ही चक के रूप में दर्ज कर दी। उक्त तरमीम एवं रिकॉर्ड की अशुद्धि के कारण प्रतिवादी सं. 1 व 2 सड़क के उत्तर की वादी की बेनामी 3.00 बीघा भूमि पर से वादी को बेदखल कर खुद काबिज होने की ताक में रहते हैं। अतः वाद के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट अ में दरसाये अनुसार सड़क की विद्यमान तरमीम निरस्त करवाते हुए बरंग बैंगनी ए से बी स्थान पर दुरुस्त करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में मौका स्थिति अनुसार सड़क के उत्तर की 3.00 बीघा भूमि का नवीन खसरा सृजित करते हुए ख.सं. 841/566 का रकबा 14.00 बीघा दर्ज किया जावे, ताकि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में एकरूपता आ सके और सीमा विवाद का स्थायी समाधान हो सके। हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखित साक्ष्य का अवलोकन किया। किसी भी दावे की प्रकृति का निर्धारण उसके 'पिथ' व 'सिक्वेंस' के आधार पर होता है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण तरमीम दुरुस्ती का है, जो धारा 136 RLR Act के तहत उपखण्ड अधिकारी के क्षेत्राधिकार का विषय है। वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें सड़क की गलत तरमीम होने की पृष्टि होती हो। जहां तक प्रतिवादीगण के एकतरफा होने का प्रश्न है, कोई भी दावे प्रतिदावेदार की विकलांगता पर स्टेण्ड नहीं हो सकता, उसे साक्ष्य पुष्ट करने का दायित्व वादीगण पर होता है। केवल मौखिक साक्ष्य किसी दावे की पृष्टि का आधार नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त दावा सड़क की तरमीम परिवर्तित करने की इस्तदुआ का होने के बावजूद PWD को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादीगण अपने अभीष्ट अनुतोष हेतु उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में PWD को पक्षकार बनाते हुए धारा 131–136 RLR Act के तहत चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। लिहाजा वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार विहीनता एवं पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिर दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:54:36 IST
Reason: SelfAttested